an>

Title: Regarding the murder of a man in Ramgarh, Alwar.

डॉ. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र अलवर के अंदर रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 21 और 22 तारीख की रात को एक आदमी की समूह ने मिलकर निर्मम हत्या कर दी। अपने आपको गोरक्षक कहने वाले लोगों ने उस मासूम को गो तस्कर मानते हुए उसकी हत्या कर दी।…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): यह राज्य का विषय है।

डा.करण सिंह यादव: अलवर के अंदर यह चौथा केस है।

सवा साल पहले पहलू खान की मौत बाद तीन हादसे हो चुके हैं। …(व्यवधान) एक को गौ तस्कर मान कर गोली मार दी गई। …(व्यवधान) और दूसरे को बहुत पीटा गया। परसों रात की घटना में पुलिस की भूमिका के बारे में मैं बताना चाहूंगा। …(व्यवधान) थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। …(व्यवधान) पुलिस उसको चार घंटे तक थाने में रखती है। …(व्यवधान) उसको उठा कर ले कर गए, वह जिंदा था, अच्छी हालत में था, कीचड़ में था, उसको पहले नहलाया-धुलाया, कपड़े बदले…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, श्री अभिजित, श्रीमती सुप्रिया सुले मुखर्जी एवं डॉ. ममताज़ संघमिता को डॉ. करण सिंह यादव के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, the House stands adjourned to meet again at 2.05 p.m.

13 07 hours

The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past Fourteen of the Clock.

14 07 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Seven Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. The Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today, and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within stipulated time. The rest will be treated as lapsed.